इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2021—आषाढ़ 4, शक 1943

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

आदेश क्र.—एफ—712—344—2021—अठारह—6.— मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 के भाग—एक विनियम 5 गठन वर्गीकरण एवं वेतनमान के बिन्दु 3 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम 2016 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

अनुसूची—चार(क)

(विनियम—7 देखिए)

(सीधी भर्ती के लिये व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता)

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	शैक्षणिक योग्यता/पात्रता (5)
14	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	8वीं उत्तीर्ण

Order No. 712-344-2021-XVIII-6.- In exercise of the powers conferred by the proviso to M.P. Housing & Infrastructure Development Board (organization structure & recruitment) Regulations 2016 Part 1 point 3 of Regulation 5 Constitution, classification and Pay Scale hereby makes the following further amendment in the M. P. Housing & Infrastructure Development Board (organizational structure & recruitment) Regulations 2016:-

AMENDMENT

Schedule-IV(A)

(See regulation 7)

(Age and eligibility of Persons for direct recruitment)

S.No. (1)	Name of Post (2)	Minimum Age limit (3)	Maximun Age limit (4)	Educational Qualification/ Eligibility (5)
14	Peon	18 yrs	40 yrs	8th Pass

भारत यादव, आयुक्त.

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ, भवन भोपाल

एफ. 2—7—2015—सात—7 भोपाल, दिनांक 22 जून 2021

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2018) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाना प्रस्तावित करती है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से पंद्रह दिवस का अवसान होने पर उक्त नियम पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम. – इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण नियम, 2021 है।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2018);

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक–हस्ताक्षर" से अभिप्रेत है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) में यथा परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक 'चिह्नक' ;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(ङ) "वेबपोर्टल" से अभिप्रेत है, आयुक्त भू–अभिलेख के द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं।

3. अनुबंध का प्रस्तुत किया जाना.– (1) धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन निष्पादित किए गए अनुबंध की स्केन की हुई प्रति वेबपोर्टल के माध्यम से ऐसे अनुबंध के दोनों पक्षकारों द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकेगी. की भूमि के ब्यौरे www.mpbhulkh.gov.in पोर्टल से प्राप्त किए (feched) जाएंगे।

(2) ऐसे अनुबंध का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण दोनों पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के अधीन किया जाएगा।

(3) अनुबंध के प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर से प्ररूप–एक में पावती जारी होगी। कोई भी पक्षकार ऐसी पावती का प्रिंटआउट ले सकेगा।

(4) उप–नियम (1) के अधीन एक बार प्रेषित अनुबंध पोर्टल पर ग्रामवार एवं तहसीलवार स्वतः ही अभिलिखित एवं प्रदर्शित होंगे।

4. विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया.– (1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के उपबंध विवादों के निपटारे के लिए यथावश्यक परिवर्तन के साथ अनुसरित किए जाएंगे।

(2) तहसीलदार कोई आदेश पारित करने के पूर्व प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

प्ररूप—एक

पावती

प्रति,

श्री / श्रीमती / कुमारी ....

पुत्र / पुत्री / पत्नी..

पता ....

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण नियम, 2021 के नियम (3) के अधीन प्ररूप—एक में .... (प्रथम पक्ष) एवं .... (द्वितीय पक्ष) के द्वारा निष्पादित बटाई अनुबंध का प्रस्तुतीकरण एतद्द्वारा किया गया।

(इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर)

सील प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं पद

दिनांक ....

स्थान ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2021

क्र. एफ—2—7—2015—सात—7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ—2—7—2015—सात—7, दिनांक 22 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

F.-02-07-2015-VII-Sec-7 Bhopal, the 22nd June 2021

In exercise of the powers conferred by section 16 of the Madhya Pradesh Bhumiswami Evam Bataidar Ke Hiton ka Sanrakshan Adhiniyam, 2016 (No. 13 of 2018), the State Government hereby, proposes to make the following rules which shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of rules before the expiry of the period specified above, shall be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

1. Short title.-

These rules may be called the Madhya Pradesh Bhumiswami Evam Bataidar Ke Hiton Ka Sanrakshan Niyam, 2021.

2. Definitions.- (1) In these rules unless the context otherwise requires-

(a) 'Act' means the Madhya Pradesh Bhumiswami Evam Bataidar Ke Hiton ka Sanrakshan Adhiniyam, 2016 (No. 13 of 2018);

(b) "Electronic Signature" means electronic signature as defined in the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000);

(c) 'Form' means forms appended to these rules;

(d) 'Section' means the section of the Act;

(e) 'Web Portal' means website portal specified by the Commissioner Land Records.

(2) Words and expression used in these rules but not defined in these rules and defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Submission of agreement.- (1) The scanned copy of agreement executed under sub-section (1) of Section 4 may be submitted online by both parties of such agreement through designated web portal. The details of land subjected to agreement shall be fetched from www.mpbhulekh.gov.in Portal.

(2) Online submission of such agreement shall be made under electronic signatures of both the parties.

(3) On submission of agreements, the electronically signed acknowledgement shall be generated in Form-I forthwith. Any party may get the printout of such acknowledgement.

(4) Agreement, once submitted under sub-rule (1) shall automatically be recorded and fetched village wise and Tahsil wise on the portal.

4. Procedure for disposal of disputes- (1) The provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayon Ki Prakiya) Niyam, 2019 made under section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall so far as may be, be followed mutatis mutandis for disposal of disputes.

(2) The Tahsildar before passing any order shall give opportunity of being heard to every interested party.

Form-I
ACKNOWLEDGMENT

To,

Shri/Smt./Ku......................................
Son/Daughter/Wife of.......................
Address ....

The submission of the Agreement of Batai executed by .... (first party) and .... (second party) in Form-I under rule (3) of the Madhya Pradesh Bhumiswami avam Bataidar ke Hiton ka Sanrakshan Niyam, 2021 is hereby acknowledged.

(Electronic Signature)

Date .... Seal Name and designation of Receiver

Place ....

By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

क्र.–मप्रविनिआ–2021–718.– विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61(ज) तथा 86(1)(ङ) सहपठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(यत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2010 {आरजी–33(1), वर्ष 2010} में नौवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 (नौंवां संशोधन) {आरजी–33 (I) (IX), वर्ष 2020}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **विनियम 10 में संशोधन**

विनियम 10 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :

10 नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादक/विद्युत सह–उत्पादन संयंत्र द्वारा विद्युत का आहरण

"नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादक/विद्युत सह–उत्पादन संयंत्र केवल स्वयं के उपयोग हेतु राज्य विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयन्त्र के ग्रिड के साथ तुल्यकालन (सिन्क्रोनाइजेशन) हेतु अथवा उसके संयन्त्र के बन्द होने (शट–डाऊन) या फिर अन्य आकस्मिकताओं के दौरान विद्युत के आहरण हेतु प्राधिकृत होगा। संयन्त्र के ग्रिड के साथ तुल्यकालन के दौरान अथवा संयन्त्र के बन्द होने के दौरान या फिर अन्य आकस्मिकताओं की अवधि के दौरान की बिलिंग, प्रयोज्य खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश की तत्संबंधी टैरिफ अनुसूची में दर्शाई गई दर के अनुसार की जाएगी।"

No. MPERC/2021/718 In exercise of the powers conferred by Section 61(h), 86(1) (e) read with Section 181 (1) and Section 181(2) (zp) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 namely:-

Ninth Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 [RG- 33(I) of 2010]

1. Short Title and Commencement –

1.1 These Regulations shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 (Ninth Amendment) {ARG-33(I)(ix) of 2020}**

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Regulation 10

In the said Regulations, for existing Regulation 10, the following Regulation shall be substituted, as follows namely:-

"10. Drawing power by Generator/Co-generation plant from Renewable Sources

The Generator/Co-generation plant from Renewable Sources would be entitled to draw power exclusively for its own use from the State Distribution Licensee for synchronization of plant with the grid or during shutdown period of its plant or during other emergencies. The power availed during synchronization of plant with the grid or during shutdown period of its plant or during other emergencies shall be billed at the rate under respective tariff schedule in applicable retail supply tariff order.

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.